

9/1

2021
173

12-8-21
28/10/21
15/3/22
21/5/22

सरवर्क
राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, बनेड़ा

| किस्म मुकदमा | मुकदमा नं. एवं वर्ष | तारीख दायर | ग्राम का नाम | तारीख फैसल | नं. फैसल | तारीख फैशी |
|--------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|----------|------------|
| प्रा० पत्र | 143 2021 | 25-6-21 | सागरिका कंला | फैसल 20/5/22 | | |

अनवान

श्री जगदीश प्रसाद पितृ-भक्त लाल बनाम श्री जसना लाल मुरा-यशार
 महाजन निवासी रायला निवासी सागरिका कंला वर्ग 0



FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड एवं उपजिला मजिस्ट्रेट

बनेडा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

प्रचालत उपखण्ड अधिकारी बनेडा मुकाम बनेडा

जगदीश सहायन

बनाम जसना लाल यशार

मुकदमा 111, 128 I.R. Act नं. 143 सन् 2021

| | | |
|--------|----------------------------------|---|
| ख म | हुकम या कार्यवाही मय इनिशयल्य जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए |
|--------|----------------------------------|---|

वकील डा. अर्जुन द्वारा डा. अर्जुन पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128
विरुद्ध विपक्षी जग पेश किया गया। डा. अर्जुन पत्र बाद जाँच
दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी जग की तलबी हेतु पत्रावली दिनांक
12-8-21 को पेश हो।

1580

पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित पितासीन
अधिकारी का स्थानान्तरण/दौरे अवकाश में पधारें
हैं/अन्य राजकार्य में व्यस्त है/अतः अवकाश
पत्रावली साबिक आदेश बिनाक...को पेश हो।
28/10/21


आज्ञा से
रीडर

पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित पितासीन
अधिकारी का स्थानान्तरण/दौरे अवकाश में पधारें
हैं/अन्य राजकार्य में व्यस्त है/अतः अवकाश
पत्रावली साबिक आदेश दिनांक...को पेश हो।
15/3/22

आज्ञा से
रीडर

21

क्र. 44

| तारीख हुकम 143 / 2021 | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए |
|-----------------------------|--|--|
| 20/5/22 | <p>पत्रावली आज दिनांक को प्रशासन गांव के संग अभियान फोलोअप केम्प के तहत केम्प कोर्ट सरदारनगर पर पेश हुई। प्रकरण को अवलोकन किया गया। अवलोकन से प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके पक्ष में प्रार्थीगण द्वारा ग्राम सालरिया जमाबंदी संवत् 2074 से 2077 तक की संलग्न की गयी है। प्रकरण मूल रूप से पत्थरगढी/सीमांकन से संबंधित होने से किसी अन्य खातेदारान/पड़ौसियान के हक अधिकार प्रभावित नहीं होते है न ही किसी प्रकार के हक अधिकार निर्धारित किये जाते है। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी बाबत वर्णित तथ्यों से मेरा समाधान हो जाने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। निर्णय अलग से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली करवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: center;"> उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा</p> | |

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी अंशुल सिंह आर०ए०एस०

मुकदमा नम्बर - 143 / 2021 राजस्व प्रार्थना पत्र

उनवान

1- जगदीश प्रसाद पिता भैरूलाल महाजन निवासी रायला

--प्रार्थीगण

बनाम

- 1- जमना लाल पिता भूरा चमार निवासी सालरिया
- 2- लालाराम पिता भूरा चमार निवासी सालरिया
- 3- जगदीश पिता उंकार चमार निवासी सालरिया
- 4- उदा पिता घीसा चमार निवासी सालरिया
- 5- बालू पिता बीरमा चमार निवासी सालरिया
- 6- कल्याण पिता रामलाल गुजर निवासी सालरिया
- 7- हीरा पिता कालू चमार निवासी सालरिया
- 8- भैरू पिता रामा चमार निवासी सालरिया
- 9- राजू पिता मांगू चमार निवासी सालरिया
- 10- पन्ना पिता बगता चमार निवासी सालरिया
- 11- चन्द्रा पिता मोहन चमार निवासी सालरिया
- 12- तहसीलदार बनेड़ा

--विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक :- 20/05/2022

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राज०भू०राज० अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम सालरिया प०ह० सालरिया भू०अ०नि० सरदारनगर तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 1368, 1370 कुल किता 2 रकबा 0.8978 है० के खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त आराजियात की भूमि के विपक्षीगण पडौसी है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। इसलिए प्रार्थीगण अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहते हैं। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया। पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबंदी का अवलोकन किया गया। जमाबंदी सम्वत् 2074 से 2077 ग्राम सालरिया प०ह० 5 भू०अ०नि० सरदारनगर तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 1368, 1370 कुल किता 2 रकबा 0.8978 है० भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज होकर संयुक्त खातदारी खातेदार है। प्रार्थीगण अपने खाते की उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने के अधिकारी है। इस आदेश से किसी भी पक्षकार का राजस्व अभिलेख में किसी प्रकार का हक व अधिकार तय नहीं होते है तथा

